श्री जी0 एस0 कंग, माननीय पूर्व मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष उच्च स्तरीय परामर्शदातृ समिति द्वारा श्री गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयन्ती, "प्रकाशोत्सव" की तैयारी की समीक्षा हेतु दिनांक–19.09.2016 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति एवं कार्यवाही:–

सर्वप्रथम माननीय पूर्व मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष उच्च स्तरीय परामर्शदातृ समिति की सहमति से प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विभाग वार तैयारी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। तत्पश्चात् विभिन्न विन्दुओं पर समीक्षोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिए गए:–

पथ निर्माण विभाग:–	**(i)** पटना सिटी क्षेत्र के पथ निर्माण विभाग के स्वीकृत 6 पथों में अद्यतन एक पथ पूर्ण है। नगर विकास विभाग द्वारा स्वीकृत 25 पथ योजनाओं में 13 पूर्ण है। **(ii)** पथ निर्माण विभाग द्वारा कंगन घाट पर मिट्टी भर कर या पीपा पुल बनाकर पथ बनाया जाना है। माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि स्थल के अनुरूप तकनीकी रूप से उपयुक्त कार्य का शीघ्र क्रियान्वयन कराया जाय। अशोक राज पथ से संबंधित कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने का भी निदेश दिया गया।
रेलवे:–	**(i)** पर्यटन विभाग द्वारा राजेन्द्र नगर स्टेशन एवं पटना साहिब स्टेशन पर एक–एक पर्यटक सूचना केन्द्र की स्वीकृति दी गयी है, जिसका निर्माण रेलवे द्वारा कराया जा रहा है। प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि नींव कार्य प्रारम्भ किया गया है लेकिन प्रगति काफी धीमी है। प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि पूर्व की बैठक में रेलवे द्वारा बताया गया है कि नबम्बर तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। **(ii)** नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा छः फूट ओवर ब्रीज के निर्माण हेतु कुल 721.29420 लाख के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। रेलवे द्वारा निविदा प्राप्त कर ली गई है। बैठक में जानकारी दी गई कि पूर्व की बैठक में रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा प्रकाशोत्सव के आयोजन के पूर्व 3 अदद फूट ओवर ब्रीज पूर्ण कर लिया जायेगा। निदेश दिया गया कि साथ–साथ सभी 6 का कार्य प्रारम्भ कर प्रकाशोत्सव के आयोजन के पूर्व सभी 6 अदद फूट ओवर ब्रीज पूर्ण कराया जाय। **(iii)** चौक शिकारपुर आर0ओ0बी0 के फिनिशिंग कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।
पटना नगर निगम:–	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि प्रकाशोत्सव के अवसर पर निम्नलिखित योजनाओं की स्वीकृति पटना नगर निगम को दी गई है:– **(i)** जलापूर्त्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 4000 लीटर क्षमता वाले 10 अदद स्टेनलेस स्टील टैंकर के क्रय हेतु 40.0 लाख तथा 6000 लीटर क्षमता वाले **Truck Mounted** 2 अदद स्टेनलेस स्टील टैंकर के क्रय हेतु 41.0 लाख स्वीकृत किया गया है। **(ii)** 19 स्थानों पर स्थायी प्याऊ के निर्माण हेतु 30.742 लाख तथा 100

	स्थानों पर अस्थायी प्याऊ के निर्माण हेतु 25.997 लाख पटना नगर निगम को आवंटित की गई है। **(iii)** 36 सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मति हेतु कुल 109.48287 लाख पटना नगर निगम को स्वीकृत की गई है। **(iv)** 14 पथों/गलियों के निर्माण हेतु पटना नगर निगम को 262.707 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। **(v)** पूर्व से अधिश्ठापित स्ट्रीट लाईटों की मरम्मति/रख-रखाव हेतु कुल 181.30664 लाख की स्वीकृति पटना नगर निगम को दी गई है। **(vi)** आयोजन क्षेत्र की गलियों में पाइप जलापूर्ति हेतु 34.69281 लाख की स्वीकृति पटना नगर निगम को दी गई है। **(vii)** पटना नगर निगम में डस्टबीन एवं अन्य सफाई सामग्री के क्रय एवं मजदूरी आदि के भूगतान हेतु 270.66360 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त सभी कार्यों को ससमय पूर्ण करने का निदेश दिया गया। **(viii)** अन्तराष्ट्रीय सिख कॉनक्लेव के 22-24 सितम्बर के आयोजन हेतु दिनांक 20.09.2016 से सम्बन्धित क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करने हेतु निदेश उपस्थित नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को दी गई। आयुक्त पटना प्रमंडल पटना द्वारा एक्जीविशन रोड में नाला Over flow की जानकारी देते हुए निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई कराये जाने का भी निर्देश दिया गया।
गुरूद्वारा प्रबंधक समितिः-	**(i)** जिला पदाधिकारी पटना द्वारा उपस्थित गुरूद्वारा प्रबंधक समिति के प्रतिनिधि को बताया गया कि गुरूद्वारा के गेट का चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक है। प्रबंधक समिति द्वारा दूर्गापूजा के बाद शीघ्र करा लिए जाने का आश्वासन दिया गया। **(ii)** इस आयोजन के Day to Day Programm शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता बताई गई ताकि उसके अनुरूप तैयारी की जा सके। **(iii)** जिला पदाधिकारी पटना द्वारा जूता घर को भी गुरूद्वारा से दूरी पर रखे जाने का सुझाव दिया गया। **(iv)** श्रद्धालुओं के मुख्य द्वार से दो लाईन में प्रवेश करने के उपरान्त पूरी परिक्रमा न कर दर्शन के उपरान्त एक लाईन के श्रद्वालु बायें गेट से तथा दूसरी लाईन के श्रद्धालु को दायें गेट से बाहर निकालने का प्रावधान किए जाने से गुरूद्वारा परिसर में भीड़ प्रबंधन अच्छी तरह से किया जा सकता है। उपस्थित गुरूद्वारा प्रबंधक समिति के प्रतिनिधि द्वारा आपस में विमर्श कर सूचित करने का आश्वासन दिया गया। **(v)** जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा गुरूद्वारा परिसर में केवल प्रसाद वितरण किया जाय। गुरूद्वारा परिसर में लंगर की व्यवस्था करना श्रेयस्कर नहीं होगा। **(vi)** निर्माणाधीन तोरण द्वार के संबंध में अध्यक्ष उच्च स्तरीय परामर्शदातृ समिति द्वारा निदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी विभिन्न धर्मामलम्बी से विमर्श कर सहमति के आधार पर सर्वधर्म सदभाव के अनुरूप तोरण द्वार निर्माण कराये जाने का निर्देश दिया गया।

	(vii) लंगर की व्यवस्था कई संस्थानों पर किए जाने से भीड़ का नियंत्रण अच्छे ढंग से किया जा सकता है। जैसे– गाँधी मैदान, बाईपास पार्किंग स्थल, गायघाट गुरूद्वारा, कंगन घाट, बाल लीला आदि। इस संबंध में गुरूद्वारा प्रबंधक समिति को अन्तिम निर्णय शीघ्र ले लिए जाने का निर्देश दिया गया।
पर्यटन विभाग:–	**(i)** पर्यटन विभाग द्वारा Tented City के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। पूर्व से गाँधी मैदान, कंगन घाट एवं बाईपास के निकट तीन अदद Tented City का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिला पदाधिकारी पटना द्वारा बताया गया कि पूर्व में 70 एकड़ भूमि पार्किंग स्थल हेतु चिह्नित की गई है। चिह्नित भूमि के सामने सड़क के उस पार 20.38 एकड़ अतिरिक्त भूमि का चयन किया गया है। इस स्थल पर 50 एकड़ में टेन्टेड सिटी, 20 एकड़ में छोटे वाहन का पड़ाव बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होने पर बाजार समिति के प्रांगण की जमीन का उपयोग किया जा सकता है। **(ii)** प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा Tented City के चयनित स्थलों पर जलापूर्ति के लिए बोरिंग तथा Sanitation के लिए Sewerage line के संबंध में पृच्छा की गई। यह जानकारी दी गई कि इन स्थलों पर Sewerage line नहीं है। गाँधी मैदान में जलस्त्रोत उपलब्ध है। Sluge की निकासी Suction machine द्वारा किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी पटना द्वारा बताया गया कि बाईपास के निकट उपलब्ध जलस्त्रोत की जानकारी प्राप्त कर उपलब्ध करा दी जायेगी।

अन्यान्य

(i) अध्यक्ष उच्चस्तरीय परामर्शदातृ समिति द्वारा गुरूद्वारा प्रबंधक समिति को सुझाव दिया गया कि इस समिति में पटना के कुछ गणमान्य व्यक्तियों को भी शामिल किया जाय।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

22/9/2016

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास
विभाग,बिहार

अध्यक्ष,
उच्चस्तरीय परामर्शदातृ समिति

ज्ञापांक–02ब० / विविध–21–59 / 2014 6657 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–23/9/16

प्रतिलिपि:– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी एवं विकास आयुक्त के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22/9/2016

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब० / विविध–21–59 / 2014 6657 / न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक–23/9/16

प्रतिलिपि:– श्री जी०एस० कंग, अध्यक्ष, उच्च स्तरीय परामर्शदातृ समिति, राजकीय अतिथिशाला, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22/9/2016

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/विविध–21–59/2014 6657 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक–22/9/16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, युवा, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना, जिला/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/संयुक्त महानिदेशक, इरकॉन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/9/2016

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/विविध–21–59/2014 6657 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक–22/9/16

प्रतिलिपिः– श्री नितिन तनेजा, डी०पी०डी०, बुडको/संबंधित विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/9/2016

सरकार के प्रधान सचिव।